



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 26-11-2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त चारु पुत्र बबली के ग्राम बिचपुडी में बने मकान कीमत लगभग 23.43 लाख रुपये व ग्राम बिचपुडी में ही बने दूसरे मकान कीमत लगभग 13.08 लाख रुपये को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

दिनांक 25.11.2022 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 375/21 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम



से संबंधित अभियुक्त चारु पुत्र बबली निवासी ग्राम बिचपुडी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के ग्राम बिचपुडी में रिहायसी भूमि 102.34 वर्ग मीटर पर बने मकान कीमत लगभग 23.43 लाख रुपये व ग्राम बिचपुडी में ही रिहायसी भूमि 40.98 वर्ग मीटर पर बने दूसरे मकान कीमत लगभग 13.08 लाख रुपये को जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर बागपत जनपद बागपत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया।

अभियुक्त चारु पुत्र बबली निवासी ग्राम बिचपुडी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 206/21 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2- मु0अ0सं0 375/21 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 25-11-2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त आरिफ पुत्र अजमुद्दीन के ग्राम बिचपुडी में बने मकान कीमत लगभग 06.48 लाख रुपये को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

दिनांक 25.11.2022 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 375/21 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम से संबंधित अभियुक्त आरिफ पुत्र अजमुद्दीन निवासी ग्राम बिचपुडी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के ग्राम बिचपुडी में रिहायसी भूमि 36.72 वर्ग मीटर पर बने मकान कीमत लगभग 06.48 लाख रुपये को जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर बागपत जनपद बागपत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया।



अभियुक्त आरिफ पुत्र अजमुद्दीन निवासी ग्राम बिचपुडी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 206/21 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2- मु0अ0सं0 375/21 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 25-11-2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा गैरस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त वसीम पुत्र लियाकत के ग्राम बिचपुडी में बने मकान कीमत लगभग 08.27 लाख रुपये को धारा 14(1) गैरस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

दिनांक 25.11.2022 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 375/21 धारा 2/3 गैरस्टर अधिनियम से संबंधित अभियुक्त वसीम पुत्र लियाकत निवासी ग्राम बिचपुडी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के ग्राम बिचपुडी में रिहायसी भूमि 36.13 वर्ग मीटर पर बने मकान कीमत लगभग 08.27 रुपये को जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर बागपत जनपद बागपत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया।



अभियुक्त वसीम पुत्र लियाकत निवासी ग्राम बिचपुडी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 206/21 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2- मु0अ0सं0 375/21 धारा 2/3 गैरस्टर एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 26-11-2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-शाहआलम पुत्र लियाकत निवासी मौ० व्यापारियान कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 2-अमित पुत्र थम्बूजाट निवासी निरोजपुर रोड गौरीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-दिलशाद पुत्र कल्लू निवासी मौ० केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 4-खान पुत्र मकसूद निवासी मौ० केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री राममूर्ती शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 3- का० 229 देवेस कसाना थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-का० 479 कुलदीप शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।
- 5-का० 192 अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 26/11/2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 758/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 758/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोबीन पुत्र भूरु निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0- 387/22 धारा 429/269/270 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 758/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 982 नीरज थाना कोतवाली बागपत ।

3-म0का0 430 मिनाक्षी थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 26.11.2022

थाना बालैनी पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-मनीष पुत्र राजपाल निवासी ग्राम पुरामहादेव थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री प्रदीप सिंह नादर थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2- है0का0 35 सुनील कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक:- 26.11.2022

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-दीपक पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी काशीराम कालोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 अनूप कुमार कुमार थाना बडौत
- 2- का0 800 घनेन्द्र सिंह
- 3-का0 1004 संजय कुमार



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक:- 26.11.2022

थाना बडौत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-देवेन्द्र पुत्र जयपाल निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-मोनू पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-नवीन पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप ।
- 2-उ0नि0 श्री अनूप कुमार ।
- 3-म0का0 768 अन्जु लाम्बा
- 4-है0का0 315 ईशपाल सिंह ।
- 6-का0 949 विकास तालान थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 26.11.2022

थाना बडौत पुलिस ने मु0अ0सं0 1109/22 धारा 376/386/506 भादवि में
वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1109/22 धारा 376/386/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-अरसद पुत्र शब्बीर निवासी शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना बडौत ।
- 2- है0का0 410 राजवीर सिंह थाना बडौत ।
- 3-का0 1070 नरेश कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 26.11.2022

थाना छपरौली पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-सादीम पुत्र सफूद्दीन निवासी कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-अमरुद्दीन पुत्र सफूद्दीन निवासी कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-कविन्द्र पुत्र राजकुमार निवासी सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना छपरौली ।
2. उ0नि0 श्री ब्रजेश पुनिया थाना छपरौली ।
- 3.का0 115 पवन नागर थाना छपरौली ।
4. का0 708 नरेश कुमार थाना छपरौली ।
5. का0 953 अंकुल थाना छपरौली ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 26.11.2022

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-हरिओम पुत्र ओमकार निवासी पट्टी मादान करबा व थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर ।
- 2-उ0नि0 श्री हरवीर सिंह ।
- 3-उ0नि0 श्री अतेन्द्र सिंह ।
- 4-का0 807 श्रीपाल मलिक ।



**प्रेस नोट
थाना दोघट**

दिनांक 26.11.2022

**थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 213/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 213/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-कमल पुत्र सुभाष निवासी पट्टी भोजान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त कमल का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 210/18 धारा 392/420/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 213/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर ।
2. उ0नि0 श्री अतेन्द्र सिंह ।
3. है0का0 422 राजन सिंह ।
4. का0 542 मोहित कुमार ।



प्रेस नोट

डायल-112 बागपत

दिनांक 26.11.2022

पीआरवी-2985 ने सिलेंडर में आग लगने के कारण फंसी 05 साल की बच्ची को बचाया ।

घटना का विवरण –

पीआरवी 2985 को दिनांक 25/11/2022 को समय 18:30 बजे थाना सिंघवाली अहीर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बिलोचपुरा से कॉलर ने सिलेंडर में आग लगने की सूचना दी । इस सूचना पर पीआरवी ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो जानकारी हुयी कि खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गयी थी जो काफी तेज जल रही थी । पीआरवी ने अंदर जाकर देखा वहां एक 05 साल की बच्ची फंसी थी । पीआरवी कर्मचारियों द्वारा तत्काल बच्ची को सकुशल बाहर निकाला गया तत्पश्चात जलते हुए सिलेंडर पर गीली बोरी डालकर आग पर काबू पाया गया तथा परिवार को एक बड़ी घटना होने से बचाया गया ।